फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शंकरलाल नगारची वगैरह **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 138/24**

जीसीएमएस : 2024/527

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 13.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में ग्राम धुणीमाता की जमाबन्दी सवंत् 2077–80 अनुसार आ.न. 2088 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर किस्म नाला–नाली आ.न. 4934/2088 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर किस्म नाला–नाली होकर खाता संख्या 01 बिलानाम गैर काबिल काश्त के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है एवं आ.न. 5075/2088 क्षेत्रफल 0.0647 हैक्टेयर किस्म सड़क, आ.न. 5021/2088 क्षेत्र 0.0243 हैक्ट. किस्म सड़क होकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी सेटलमेंट जमाबन्दी सयंत् 2030 अनुसार आ.न. 2088 क्षेत्रफल 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म नाला–नाली होकर बिलानाम गेर काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि समय समय पर हाईवे की अवाप्ति होने से मूल आ.न. 2088 क्षेत्रफल 1–19 बीघा में से कुल 11 बिस्वा भूमि अलग–अलग अवाप्त हुई। जिससे आ.न. 2088 का क्षेत्रफल 1–04 बीघा अर्थात 0.1942 हैक्टेयर, आ.न. 4934/2088 क्षेत्रफल 04 बिस्वा अर्थात् 0.0324 हैक्टेयर निरन्तर चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी गत सेटलमेंट जमाबन्दी सवंत 2010 अनुसार आ.न. 422 क्षेत्रफल 92 बीघा 08 बिस्वा जिसमें से 91 बीघा किस्म पड़त तथा । बीघा किस्म तलाई 08 बिस्वा रास्ता होकर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज था। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान बना खसरा पत्रक का अवलोकन करने पर पाया कि आ.न. 2088 क्षेत्रफल 1–19 बीघा किस्म नाली जो कि गत भूमाप कॉलम में नम्बर खसरा 1424/422 मी से बना होकर दर्शा रखा है एवं हाल सेटलमेंट सवत् 2030 एवं गत सेटलमेंट सवंत् 2010 नक्शा शीट का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि आ.न. 2088 गत आ.न. 422 से बना है। मौके पर आ.न. 2088, 4934/2088 पर पक्के मकानात बने हुए होकर उक्त आराजीयात् में पश्चिमी दिशा के किनारे पर 3×3 फीट चोडी लम्बी पक्की नाली का निर्माण हो रखा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में वर्णित भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त है। जिसकी किस्म नाला–नाली है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व किस्म नाला–नाली दर्ज नही थी। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर पक्के मकानात बने हुए होकर पश्चिम दिशा के किनारे पर 3×3 फीट चौडी, लम्बी पक्की नाली का निर्माण हो रखा है। मौके पर नाली होने के कारण ही भू–प्रबंध विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन कर नाला–नाली की गई है। वैसे भी उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक निहित नही है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:22 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर मकानात भी बने हुए है। यदि उक्त मकानात प्रार्थीगण के है तो उसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष आबादी विस्तार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम मेंटेबल नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:22 IST
Reason: SelfAttested